www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-6* *June 2025***

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में यौन भिन्नता तथा निवास स्थान के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

सलाउद्दीन सैफी

शिक्षा संकाय विभाग, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा, उ0प्र0

कीर्ति महाजन

शिक्षा संकाय विभाग, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा, उ0प्र0

सारांश

संसार में प्रत्येक राष्ट्र की भावी नीतियों में प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त हे। यदि कोई राष्ट्र अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कारना चाहता है तो उसे प्राथमिक शिक्षा की पहली सीढ़ी को सफलता पूर्वक पार करना होगा। प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के विकास की नींव होती हैं। यह बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने को पहला अवसर प्रदान करती हैं। यह न केवल व्यक्ति के बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसार के सभी विकसित राष्ट्रों ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने को महत्त्व दिया है। राष्ट्रीय विचार धारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना किसी अन्य शैक्षिणक गतिविधि का नहीं हैं।

कुंजी शब्द– शिक्षा, शिक्षा के अधिकार, क्रियान्वयन

प्रस्तावना–

शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जो हर किसी के जीवन में उपयोगी है। शिक्षा ही हमें धरती पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है। शिक्षा से मनुष्य का विकास होता है और वह सभ्य, सुसंस्कृत, और योग्य नागरिक बनता है। इससे ही व्यक्ति और समाज दोनों का निरंतर विकास होता है। शिक्षा मानवीय समाज की नींव है। इससे ही समाज में समृद्धि, विकास, और वैज्ञानिक उन्नति होती है। शिक्षा से व्यक्ति का मन, शरीर, और आत्मा का पूर्णता स्तर तक विकास होता हैं। शिक्षा से व्यक्ति की वाणी बेहतर होती है और वह संचार के अन्य साधनों का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। गांधी जी, शिक्षा को केवल साक्षरता और कौशल प्राप्त करने के साधन के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने के सबसे मजबूत साधनों में से एक मानते थे। उन्होंने कहा, ''शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे और मनुष्य में मौजूद सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना – शरीर, मन और आत्मा।'' गांधीजी के लिए, शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सेवा के जीवन के लिए तैयार करना था।

गांधीजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उनकी योजना में ''स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण के प्राथमिक सिद्धांत'' के अलावा ''संगीतमय अभ्यास के माध्यम से अनिवार्य शारीरिक प्रशिक्षण'' भी शामिल होगा। गॉधी जी का तर्क है कि उनकी योजना छात्रों को मजबूत, आत्मविश्वासी और अपने माता–पिता और देश के लिए उपयोगी बनाएगी। उनका मुख्य उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा देना है और बच्चों को कुशल और स्वतंत्र

बनाने के लिए गतिविधि केंद्रित शिक्षा की मांग की। गॉधी जी छोटे, आत्मनिर्भर समुदायों का निर्माण करना चाहते थे, जिसके आदर्श नागरिक सभी मेहनती, स्वाभिमानी और उदार व्यक्ति हों जो एक छोटे सहकारी और समुदाय में रहते हों।

टैगोर की शिक्षा की दृष्टि इस विश्वास पर आधारित थी कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें संपूर्ण व्यक्ति का विकास भी शामिल होना चाहिए। टैगोर के अनुसार, शिक्षा आत्म–खोज की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। जिससे विद्यार्थी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी क्षमता और प्रतिभा को विकसित करना सीखे।

श्री घोष के अनुसार शिक्षा के चार अन्तः करण होते हैं, मन, बुद्धि, चिंतन एवं ज्ञान। इनके अनुसार उसका सर्वागीण विकास करके उसका नैतिक, बौधिक, सामाजिक विकास का आध्यात्मिक विकास में सहायता करें। उन्होंने स्वंय लिखा'' सच्ची व वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक का सार्वागीण विकास करके उसे आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करे। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। विवेकानन्द जी के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है, और हमारे पतन के कारणों में से एक है। राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं किया जायेगा।

शिक्षा से वंचित समाज श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकता। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी हैं कि शिक्षा का आशय महज किताबी ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति लिख–पढ़ सकता है, उसे साक्षर तो कहा जाएगा लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह शिक्षित है हालांकि साक्षरता इस प्रक्रिया का जरूरी कदम है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता गिरने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि शिक्षकों की सीमाएं निध ार्ारित कर दी गई है, ना ही वह किसी छात्र को दण्डित कर सकता हैं और ना ही उसका नाम रजिस्टर से काट सकता है और ना ही उसे अनुर्तीर्ण कर सकता है। कई कारण हैं जिनकी वजह से यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया हैः

1. संसाधनों की कमीः कई स्कूलों में अभी भी शिक्षकों, पुस्तकों, और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी है।
2. बुनियादी ढांचे का अभावः कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं और उनमें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।
3. सामाजिक–आर्थिक कारकः कई परिवारों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना एक बोझ होता है।
4. लड़कियों की शिक्षाः लड़कियों की शिक्षा में अभी भी कई चुनौतियॉ हैं।

हालांकि, सरकार और कई गैर–सरकारी संगठन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे कि मिड–डे मील, सर्व शिक्षा अभियान आदि। इन प्रयासों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है।

साहित्यिक समीक्षा–

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विकास

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में (Universalisation) शब्द का प्रयोग किया गया जिसका हिन्दी पर्याय सार्वभौमिकरण अथवा सार्वजनीकरण है। 1882 में हमारे देश में हन्टर आयोग ने पहली बार इस विषय पर भारतीयों के विचार सुने, जिसमें ''दादा भाई नौरोजी'' ने पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किये जाने का प्रस्ताव रखा, किन्तु अंग्रेजी सरकार ने उनके इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया।

बड़ौदा रिसायत के महाराज शिवाजी राव गायकवाड ने सन् 1906 में अपने राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नियम लागू किया। सन् 1910 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी किये जाने का प्रस्ताव रखा। 1918 से 1920 की अवधि में अनेक प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिनियम पारित हुए, जिनमें बम्बई की 1918 में पंजाब, बिहार, उड़ीसा तथा संयुक्त प्रान्त 1919 एवं मध्य प्रान्त तथा मद्रास 1920 प्रसिद्ध है। सन् 1918 में महात्मा गाँध ी के तत्वाधान में राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा मिली।

यद्यपि 1930 तक लगभग सभी प्रान्तों ने बम्बई के पद–चिन्हों पर चल कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बना दिया थे। महात्मा गाँधी ने अपनी 'हरिजन' नामक पत्रिका में शिक्षा सम्बन्धी अपने विचारों को व्यक्त किया। वर्ष (1937) में ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिसे ''महात्मा गाँधी की शिक्षा योजना'' को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विकास

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान

रखा गया कि दस वर्ष की अवधि में राज्य 14 वर्ष की आयु सीमा तक के समस्त बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

देश की शिक्षा नीति निर्धारित करने वाली उच्चतम संस्था शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (स्थ।) पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत नवम्बर 1999 में स्वतन्त्र सचिव के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता के अलग विभाग की स्थापना की। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 2002 में संसद में संविधान संशोधन अधि ानियम पारित कराया गया। जो 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में पारित हुआ और वर्ष 2010 में सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ।

भाोध के उद्देश्य–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के सन्दर्भ में यौन भिन्नता के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के सन्दर्भ में शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के सम्बंध में यौन भिन्नता के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं हैं।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के सम्बंध में शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है।

परिसीमन–

प्रस्तुत शोध मेरठ जिले मे हाई स्कूल स्तर पर संचालित शहरी व ग्रामीण विद्यालयों एवं उनमें कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं तक परिसीमित है।

न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध हाई स्कूल स्तर पर कार्यरत 100 शिक्षक–शिक्षिकाओं (50 शिक्षक/50 शिक्षिकाओं) का सोद्देश्यपूर्ण सहित पूर्ण सहित स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया।

परीक्षण–

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा यौन भिन्नता हेतु दृष्टिकोण मापनी एवं शहरी व ग्रामीण विद्यालयी उत्तरदाताओं हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार, अनुसूची परीक्षण उपयोग में लाया गया।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा समंकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन व 'टी' परीक्षण आदि का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण–

परिकल्पना 01: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं हैं।

तालिका सं० 01

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।

उत्तरदाता	N	M	SD	't'
शिक्षक	50	54.86	6.03	3.29
शिक्षिकाएं	50	51.21	7.16	

व्याख्याः विश्लेषण से विदित हैं कि यौन भिन्नतानुसीार शिक्षक–शिक्षिकाओं के दृष्टिकोण के लिए ज. मान 3.29 प्राप्त हुआ, जो Df -118 पर 0.01 विश्वास स्तर (2.62) व 0.05 विश्वास स्तर (1.98) के सारणी मान से अधिक हैं, इसलिए अंतर सार्थक पाया गया। अतः परिकल्पना 01 अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 02: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में शहरी एवं ग्रामीण उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।

तालिका सं० 02

उत्तरदाता	N	M	SD	't'
शहरी क्षेत्र	50	46.63	9.43	4.34
ग्रामीण क्षेत्र	50	38.96	8.21	

व्याख्याः यौन भिन्नतानुसार शिक्षक–शिक्षिकाओं के तालिका से स्पष्ट हैं कि ज. मान 4.34 प्राप्त हुआ, जो क्ि.118 पर 0.01 विश्वास स्तर (2ण्62) व 0.05 विश्वास स्तर (1ण्98) के सारणी मान से अधिक हैं, इसलिए शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में अंतर सार्थक पाया गया। अतः परिकल्पना 02 अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष–

प्रस्तुत शोध हेतु संकलित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में यौन भिन्नता के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर पाया गया। जिससे स्पष्ट होता हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के प्रति शिक्षक और शिक्षिकाएं अलग–अलग दृष्टिकोण रखती हैं।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में भी सार्थक अन्तर पाया गया। जिससे ज्ञात होता हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने पर उसकी प्रभावशलीता के बारे में शहरी व ग्रामीण विद्यालय अलग–अलग दृष्टिकोण रखते हैं।

सुझाव–

1. शिक्षक व शिक्षिकाएं राष्ट्र के निर्माता और विद्यार्थियों के भाग्य विधाता कहे जाते हैं। अतः इस दृष्टिगत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को आमूल–चूल परिवर्तन क साथ लागू कर सभी में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयत्न होना चाहिए।
2. विद्यालय को प्रयोग स्थली कहा जाता है। सुदूर ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का असम्भावी लाभ हेतु आवश्यक हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधिकार व लाभों से जनमानस को जाग्रत किया जाए।
3. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से शिक्षा के समान अवसर बढ़ेंगे।
4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम का शहर की तुलना में ग्रामीण विद्यालयों में प्रचार प्रसार पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. अग्रवाल, जे०सी० (2003) ''टीचर एण्ड एजुकेशन इन ए डेवलपिंग सोसाइटी'', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. आनन्द, जी, वेस्टेज इन प्राइमरी एजुकेशन एमंग ट्राइवल, चिल्ड्रन, एजुकेशन वेस्टेज, नई दिल्लीः कामनवेल्थ प्रकाशन।
3. बुच, एम० बी० (1983), ''एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया''।
4. शर्मा, आर० ए०, (2005), ''शिक्षा अनुसंधान'', मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन।
5. ''सर्व शिक्षा अभियान–कार्य योजना एवं बजट''–मेरठ जनपद, 2009–2010 एवं 2010–11
6. त्यागी एस०पी एण्ड शरदिन्दु, (1999) ''एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन यू०पी०'', नई दिल्ली, नीपा।

शोध ग्रन्थ एवं पत्रिकाएं–

1. कुमार, हरीश (2016) ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भवनाएं,एवं समस्याओं का एक अध्ययन'' नई शिक्षा पद्धति अंक 4
2. इंडिया टूडे (2020), हाऊ टीचर्स केन शेप स्टूडेंटस फॉर ए न्यू इंडिया, इंडिया टुडे इन, नई दिल्ली।
3. Kaushal Mona (2012) "Implementation of Right to Education in India: Issues and concerns" Journal of Managements Public Policy Vol 4 No. 1 pp 42-48
4. Uma (2013) "Right to Education (RTE): A Critical Appraisal' IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6 No-4' pp: 53-60.
5. NCERT (2015) Journal of Indian Education, Vol XXXXI.

Cite this Article-

'सलाउद्दीन सैफी; कीर्ति महाजन', 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में यौन भिन्नता तथा निवास स्थान के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन', *Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:06, June 2025.*

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i600012
Published Date- 07 June 2025